**मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच योजना**

# मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना
## चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
## स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

---

**क्रमांक:** 1015 **दिनांक:** 21.3.13

**समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी**
**राजस्थान ।**

**विषयः– सोनोग्राफी मशीन पर कार्य के लिए दिशा निर्देश बाबत्।**

निर्देशानुसार मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कि सफल कियान्विती हेतु सोनोग्राफी मशीन के संचालन हेतु PCPNDT ACT के दिशा निर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे है।

कृपया उक्त दिशा निर्देशो की पालना करते हुए सोनोग्राफी मशीन के संचालन की आवश्यक शीघ्र कार्यवाही करावे।

**निदेशक (जन स्वा0)**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,**
**राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक: दिनांक:

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं मिशन निर्देशक एन.आर.एच.एम. चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं प0 क0 विभाग, जयपुर।
4. निजी सहायक, प्रबंध निदेशक, आर.एम.एस.सी.एल. जयपुर।
5. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि पत्र विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करें।
6. कार्यालय पत्रावली।

**निदेशक (जन स्वा0)**
**चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ,**
**राजस्थान, जयपुर**

बेटी बचाओ
Save the girl Child

# राजस्थान सरकार
## निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाऍ
## राज्य पी0सी0पी0एन0डी0टी0 सैल
## राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : राज्य-पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ/एल.ए./2012/ 2030

दिनांक : 26/12/12

समस्त जिला समुचित प्राधिकारी एवं
जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

**अति आवश्यक**

**विषयः– पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 एवं नियमों के अन्तर्गत स्नातकोत्तर डिग्रीधारी चिकित्सकों द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी करने की योग्यता बाबत्।**
**संदर्भः– श्रीमान सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से प्राप्त पत्रांक एफ 12011/56/2012–पीएनडीटी दिनांक 11.12.2012 के क्रम में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 3(3)(1)ख के अन्तर्गत स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के आनुवंशिक क्लिनिक /अल्ट्रासाउंड क्लिनिक/इमेजिंग सेन्टर में अल्ट्रासोनोग्राफी करने के संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

अतः उक्त दिशा–निर्देश संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

अध्यक्ष
राज्य समुचित प्राधिकारी
एवं विशिष्ट शासन सचिव (प0क0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऍ
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. डॉ. परम नवदीप सिंह, सदस्य राज्य समुचित प्राधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
4. श्री बृज किशोर गुप्ता, जे.एल.आर. (एल.), विधि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक (पीसीपीएनडीटी) चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक (प0क0), चिकित्सा एंव स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
7. उप निदेशक (आरसीएच) एवं प्रभारी, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त उपखण्ड समुचित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, राजस्थान।
9. समस्त जिला नोडल अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. अपरा[illegible] सहायक/स्वास्थ्य प्रबंधक/राज्य समन्वयक, राज्य पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ, जयपुर।
11. सैन्ट्रल सर्वर रूम, मुख्यालय।

अध्यक्ष
राज्य समुचित प्राधिकारी
एवं विशिष्ट शासन सचिव (प0क0),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऍ
राजस्थान जयपुर

कार्यालय मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
क्रमांक 2169 दिनांक 18/12/12

F.No.F.12011/56/2012- PNDT
Government of India
Ministry of Health & FW
(PNDT Section)

Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 11 December, 2012.

To,
The State/UT Appropriate Authority,
Under PC & PNDT (Prohibition of Sex Selection) Act, 1994
(All States/UTs)

Subject:- **Clarification regarding class of Medical Practitioner qualified to conduct ultra sonography in a Genetic Clinic- regarding.**

The undersigned is directed to say that the Ministry of Health and Family Welfare has received a number of representations seeking clarification on the class of medical practitioners qualified to conduct ultra sonography in a Genetic Clinic.

2. In this regard Rule 3.3.1(b) of the PC & PNDT Rules, 1996 may please be referred to. The said Rule is amply clear that a Registered Medical Practitioner with a Post Graduate degree to conduct ultra sonography in a Genetic Clinic/Ultrasound Clinic/Imaging Centre.

3. You are requested to disseminate the clarification above to the concerned Appropriate Authorities under the PC & PNDT Act at the district level.

Medical & Health Services
State PCPNDT Cell
No. 2323
Date 19/12/12

(D.N. Sahoo)
**Under Secretary to the Govt. of India**
**Tel: 011-23061857**

Copy to:-

1. Mission Director, NRHM (All States/UTs)
2. The Principal Secretary/Secretary (All States/UTs)
3. President FOGSI
4. President IMA

**अल्ट्रासाउण्ड मशीन का उपयोग पंजीकृत स्थान पर किया जाना**—पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 3(1) में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि अपंजीकृत केन्द्र पर प्रसव पूर्व निदान तकनीक से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं किया जायेगा न ही ऐसे क्रियाकलाप में सहयोग प्रदान किया जायेगा।

Section 3(1)- No Genetic Counselling Center, Genetic Laboratory or Genetic Clinic unless registered under this Act. shall conduct or associate with, or help in, conducting activities relating to prenatal diagnostic techniques.([redacted])

पीसीपीएनडीटी अधिनियम, 1994 की धारा 18(1) में भी स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि अपंजीकृत केन्द्र में भ्रूण के लिंग का अवधारण करने में समर्थ प्रौद्योगिकी जिसमें अल्ट्रासाउण्ड ईमेजिंग मशीन या स्केनर सम्मिलित है का उपयोग नहीं किया जायेगा।

"Section 18(1)- No person shall open any Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic, including clinic, laboratory or centre having ultrasound or imaging machine or scanner or any other technology capable of undertaking determination of sex of foetus and sex selection, or render services to any of them, after the commencement of the pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Act, 2002 unless such Centre, Laboratory or Clinic is duly registered under the Act." ([redacted])

**पंजीकरण हेतु आवेदन व फीस**—अल्ट्रासाउण्ड केन्द्र के पंजीकरण हेतु आवेदन संबंधित समुचित प्राधिकारी को विहित प्रारूप में मय फीस किया जाना आवश्यक है। ऐसे पंजीकरण हेतु फीस की राशि 25,000/– रुपये अथवा 35,000/– रुपये है।([redacted])

**सोनोग्राफी करने हेतु चिकित्सक की योग्यता**—

1. स्त्री रोग एवं प्रसुति में स्नात्तकोत्तर अर्हता प्राप्त पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी।([redacted])
2. स्नात्तकोत्तर डिग्री प्राप्त पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी।([redacted])
3. सोनोग्राफी में छः माह का प्रशिक्षण प्राप्त पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी।([redacted])
4. सोनोग्राफी में एक वर्ष का अनुभव प्राप्त पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी।
5. सोनोलोजिस्ट, इमेजिंग विशेषज्ञ, रेडियोलोजिस्ट।
6. चिकित्सा आनुवंशिकी विशेषज्ञ।

**सोनोग्राफी मशीन का स्थानान्तरण**—पीसीपीएनडीटी नियम, 1996 के नियम 13 के अन्तर्गत मशीन का स्थानान्तरण करने से पूर्व संबंधित समुचित प्राधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी को स्थानान्तरण के एक माह पूर्व सूचित किया जाना आवश्यक है। मशीन का स्थानान्तरण एक पंजीकृत स्थान से दूसरे पंजीकृत स्थान पर ही संभव है।([redacted])